

# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, सहरसा।

अनुसूची 14- फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

छत, मालिक (विन्दो चौधरी)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला- सहरसा,  
केस का प्रकार-

केस संख्या- **460/2020-21,**

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त छत का के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	<p style="text-align: center;"><b>--: आदेश :-</b></p> <p>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक- 210/म0नि0 एवं दिनांक-10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या- 166/2020, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं छत के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान-कायस्थ टोला वार्ड नं0 28, थाना-सदर, घटना की तिथि-17.03.2020 के साथ वर्णित है कि-</p> <p>"गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी प्रतिनियुक्त सैप व गृहरक्षक के साथ उपयुक्त अंकित स्थान पर लगभग आठ बजे शाम में उपस्थित गवाहों के समक्ष जमा तलाशी उपर्युक्त विधिवत छापेमारी की गई। छापेमारी व तलाशी क्रम में विन्दो चौधरी के ईट निर्मित पक्के के छत पर से पीले रंग के गैलन में 05 लीटर अ0म0चु0श0 बरामद हुआ। तत्पश्चात् बि0म0नि0 व उ0अधि0/2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत अवैध उत्पाद वस्तु को जप्त कर जप्त नमूना प्रदर्श व गिरफ्तार की गई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई घटना स्थल पर विधिवत सम्पन्न की गई, जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त को दी गई।"</p> <p>उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण वाद सं0-633/2020-21 के अन्तर्गत दिनांक-15.09.2020 को विनष्ट करने का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त छत के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>प्रतिवादी नोटिस प्राप्त कर भी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके मंतव्य से अवगत नहीं हुआ जा सका।</p> <p>राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन</p>	


6


हैं कि चूँकि छत का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त छत को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके अनुपस्थिति में राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि उक्त अधिहरण वाद में जप्त परिसर के संबंध में दी गई विवरणी अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जप्त परिसर में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अतः विपक्षी को कड़ी चेतावनी देते हुए इस अधिहरण वाद को अस्वीकृत कर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

  
8/1/21  
समाहर्ता  
सहरसा।

  
8/1/21  
समाहर्ता  
सहरसा।


ज्ञापांक १३ / न्याया०,

सहरसा, दिनांक 08.01.21

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

  
8.01.21  
प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला विधि शाखा, सहरसा।  
8/1/21